कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल

संख्या 2371 शिविर/ 1-8 ([illegible]) देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2003

स्थायी आदेश

भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा 4 (बी) को धारा 7 के साथ पढ़ने पर यदि बाँस वन में हो अथवा वन से लाया गया हो तो तभी वह वन उत्पाद की श्रेणी में आता है और यदि वह वन से बाहर हो तो वन उत्पाद की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं [illegible] क्षेत्रो मे वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 में उल्लिखित प्रजातियों में भी बाँस सम्मिलित नहीं है। [illegible] किसी भी प्रकार के बाँस, यथा वनों से लाया गया हो या निजी काश्त से, के अभिवहन हेतु अनुज्ञा जारी किये जाने की परम्परा है। इस परम्परानुसार अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु काश्तकार को अधिक समय गवाना पड़ जाता है जिस पर काश्तकार को निरर्थक असुविधा होती है। अतः प्रकिया को सरल बनाये जाने के उद्देश्य से आदेशित किया जाता है कि यदि वन से बाहर बाँस का विदोहन किया जाता है तो ऐसे बाँस के अभिवहन हेतु अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल

संख्या शिविर/(1) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल,
2. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, उत्तरांचल,
3. समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल

संख्या शिविर/(2) दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून
2. सदस्य सचिव/वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल बाँस ए. [illegible] विकास परिषद, देहरादून.

(मदन मोहन इरगोला)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तरांचल